न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 4/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालड़ी एम, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. जो कोई हो।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री भगवतसिंह देवड़ा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 16.12.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2015 को उपअधीक्षक पुलिस सिरोही मय मुर्तिबा फर्दात व जब्त शुदा वाहन एवं अवैध ड़ीजल पुलिस थाना पालड़ी में उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि न्यू सिंधी होटल सरहद वेराविलपुर के खड़ी बोलेरो जीप में एक ड्रम रखा हुआ पाये जाने पर चैक किया तो वह ड़ीजल से भरा हुआ था जिसकी क्षमता 200 लीटर थी। बिना परमिट एवं उचित कारण के ड़ीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से ड़ीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी श्री भंवरसिंह पुत्र हड़मतसिंह जाति राजपूत निवासी वेरारामपुरा हाल वेरावेलिपुर की ओर से अधिवक्ता श्री भगतसिंह देवड़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया, जिसमें ड़ीजल उनके मालिकी का होना बताया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवड़ा की [illegible] गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस [illegible] डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त ड़ीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल [illegible] पदार्थ है जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग [illegible] की सम्भावना है। अतः इसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:42:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री भगतसिंह देवड़ा ने दौराने बहस अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब की ओर मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त ड़ीजल को अप्रार्थी के फॉकलैण्ड़ मशीन, डम्पर, जेसीबी, ट्रेक्टर हेतु आवश्यकता होने से खरीद किया है। प्रार्थी के पास उक्त ड़ीजल का बिल उपलब्ध है। अतः कब्जे पुलिस लिये ड़ीजल एवं ड्रमों को उनके मालिकी का होने से लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावे। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 1997 सीआरआई, एल.जे. 4035 प्रस्तुत किया।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा न्यू सिंधी होटल सरहद वेराविलपुर के खड़ी बोलेरो जीप में एक ड्रम रखा हुआ पाये जाने पर चैक किया तो वह ड़ीजल से भरा हुआ था जिसकी क्षमता 200 लीटर थी, जिसे कब्जे सरकार लिया जाकर यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु पेश किया। राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1980 के क्लॉज 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 200 लीटर से अधिक ड़ीजल का भण्डारण करने व्यापार करने अथवा स्वयं के उपयोग हेतु रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। किन्तु अप्रार्थी इस पर अपना मालिकाना हक सावित करने में असमर्थ रहा है। जहॉ तक अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गये ड़ीजल को जरिये बिल खरीद करना बताया गया है, एवं उसका उपयोग स्वयं की फॉकलैण्ड़ मशीन, डम्पर, जेसीबी, ट्रेक्टर में उपयोग करना बता रहे है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह पाया जाता है कि उसका यह कथन सत्य सावित हो। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ड़ीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 200 लीटर ड़ीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही ड़ीजल एवं ड्रमों का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें। चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:42:54 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner